झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

श्री दिलीप कुमार महथा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवघर के न्यायालय द्वारा सत्रवाद सं0– 148/95 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

श्री महथा के विरूद्ध दायर आरोप पत्र के अनुसार इनके द्वारा देवघर स्थित अपने मकान में किरायेदार के रूप में रह रहे श्री अवध किशोर तिवारी की दिनांक 27.10.1992 की सुबह अपहरण कर हत्या कराई गई।

माननीय सत्र न्यायालय के आदेश के विरूद्ध श्री महथा ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील वाद सं0– Cr. Appeal (PB) No.- 527/05 दायर किया तथा उन्हें जमानत मिली हुई है।

2. लम्बित कालबद्ध प्रोन्नति एवं सेवाविनियमन हेतु श्री महथा से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, किंतु इनके सजायाफ्ता होने की पृष्ठभूमि के आलोक में महाधिवक्ता से परामर्श की अपेक्षा की गई। महाधिवक्ता का निम्नांकित परामर्श प्रशासी विभाग को प्राप्त हुआ :–

"In view of the conviction of Sri Dilip Kumar Mahta, the Govt. therefore, should take a decision with respect to his continuation in service before deciding the issue of granting time bound promotion"

उक्त परामर्श के क्रम में उपायुक्त, दुमका से यह सूचना माँगी गई कि अपील स्वीकार करते समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश पर स्थगनादेश दिया गया है कि नहीं ? इस प्रश्न पर उपायुक्त, दुमका के द्वारा श्री महथा से प्राप्त आवेदन को अग्रसारित किया गया है।

3. अपने आवेदन में श्री महथा ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय के Supreme Court Rule 2(23) एवं 24 के Sec 7 का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनके मामले में यथा स्थिति बहाल रखा जाय, इस बिन्दु पर पुनः महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया जो निम्नवत् है :–

"Supreme Court Rules, 1966 has been framed in exercise of Article 145 of the constitution of India which is primarily for regulating the practice and procedure of the Supreme Court. It is clear that the Supreme Court Rules is not concerned with the matters of judicial interpretation as involved in the present case."

24/9.